न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ

पीठासीन अधिकारी – अभिलाषा, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 289/2016

1. निलम देवी पत्नी देवेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी लाडपुर तहसील व जिला झज्जर हरियाणा।

..........वादिया

बनाम

1. कृष्णा सिंह पुत्र जगमालसिंह जाति राजपूत निवासी छापड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
2. गणेशसिंह पुत्र जगमालसिंह जाति राजपूत निवासी छापड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
3. सत्यवीरसिंह पुत्र मालुसिंह जाति राजपूत निवासी छापड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
4. सुरेन्द्र सिंह पुत्र मालूसिंह जाति राजपूत निवासी छापड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
5. सुखवीरसिंह पुत्र मालूसिंह जाति राजपूत निवासी छापड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
6. सोनी देवी पत्नी मालूसिंह जाति राजपूत निवासी छापड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
7. गुलाबसिंह पुत्र जस्सूसिंह जाति राजपूत निवासी छापड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0। (मृत)

7/1 जयवीर सिंह पुत्र गुलाबसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:31:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

Scanned with CamScanner

7/2 धर्मपालसिंह पुत्र गुलाबसिंह

7/3 नरेन्द्र सिंह पुत्र गुलाबसिंह

7/4 रणीधर सिंह पुत्र गुलाबसिंह

7/5 रेशम कंवर पुत्री गुलाबसिंह

8. सज्जना पत्नी जगमालसिंह जाति राजपूत निवासी छापड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0। (फौत)

9. तहसीलदार (लैण्ड होलण्डर) सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

..............प्रतिवादीगण

दावा खाता विभाजन

::निर्णय::

दिनांक 12-03-21

वादिया ने वाद प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

यह कि भूमि खेत खसरा नम्बर 247 रकबा 2.65 है0, वाके ग्राम छापड़ा में हिस्सा 1/2 भूमि व खसरा नम्बर 292 रकबा 2.65 है0, खसरा नम्बर 426/293 रकबा 2.27 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.92 है0 में हिस्सा 1/4 भूमि का बटवारा कर खसरा नम्बर 426/293 रकबा 2.27 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.92 है0 में वादिया दक्षिण कि तरफ कटानी रास्ता है जिसके लगते हुए पश्चिम सीमा कि और काबिज काश्त के अनुसार 2.555 है0 व मकानात व विद्युत चलित कुआ का खातेदार घोषित कर वादिया के हिस्से भूमि का अलग खाता दर्ज करने व अलग लगान कायम करने की डिक्री पारित किया जाकर वादी की हिस्सा भूमि बाईमिट्स व बाई बाउण्डस विभाजन भूमि किया जाना फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामिल के अनुपस्थित रहे जिन पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:31:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

Scanned with CamScanner

वादिया की ओर से साक्ष्य में जमाबंदी सं. 2072–75, 2072–75, नक्शा ट्रेस पेश किया गया।

न्यायालय द्वारा वाद वादिया दिनांक 04.02.2021 को विभाजन प्रस्ताव हेतु प्राथमिक निर्णय/डिक्री जारी की गई। तहसीलदार सूजरगढ को विभाजन प्रस्ताव हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार सूजरगढ के पत्र क्रमांक 363 दिनांक 24.02.2021के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए।

बहस विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक एवं बहस पर मनन किया गया। वादिया द्वारा तहसीलदार सूरजगढ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर अंतिम डिक्री जारी करने पर सहमति दी गई। अतः न्यायालय मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाना उचित पाता है।

–: आदेशः–

न्यायालय वाद वादिया बाबत खाता व लगान विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम छापड़ा स्थित भूमि खसरा नम्बर 247 रकबा 2.65 है, खसरा नम्बर 292 रकबा 2.65 है., खसरा नम्बर 426/293 रकबा 2.27 है. भूमि का खाता व लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श– " अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा ट्रेस प्रदर्श –"ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श– " अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा ट्रेस प्रदर्श –"ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सूरजगढ को राजस्व रिकार्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/ हिस्से/खसरा नम्बर के विरूद्व दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
सूरजगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:31:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner